

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

कसन कुमार

कनवारी लाल आदि

दावा बाबत :- 88 RJA Ct

मुकदमा नम्बर :- 158/21

निर्णय दिनांक :- 21-10-2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1/10/21 की ओर से वकील सरजीत बिजारीया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा क०/13 के खाता सं० 322/319 के

खसरा सं० 142 की 11.812 है, खसरा सं० 378 की 7.576 है, खसरा सं० 382 की 5.590 है, खसरा सं० 581 की 3.023 है, खसरा सं० 533/381 की 0.759 है कुल 33.766 है नारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1/10/21 के कनवारी लाल के नाम पर 4.729 है राजस्व विकास में पंज है मुंसे केवल प्रतिवादी सं० 1/10/21 के बाजाए वादी व प्रतिवादी सं० 1/10/21 के कडिस्सा बराबर के खातेदार का अंशकार घोषित किए जाते हैं यदि हाकिम मुंसे मुंदि किसी बैंक के रहने हो तो रहने मुंसे होने के उपरान्त ही राजस्व विकास में अंश परामर्श किया जाये राजीनामा का डिक्री का गांठ पठा जाये

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(सिविल प्रशासक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला इन्डौर
दिनांक 21-10-2021